निदेशालय

गृह रक्षा, राजस्थान

जलेब चौक,जयपुर।
फोन :– 0141–2612591, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल :sso1rajhg@hotmail.com
Website :http://rajasthanhomeguards.gov.in/

क्रमांकः गृरमु/स्था/ई–1 (13–3) 2021/31473 दिनांकः 18-11-2021

आरक्षी आरक्षी बिगुलर आरक्षी
.41–2612591, फैक्स : 0141–2603407, ई–मेल :sso1rajhg@hotm
il.com
Website http://rajasthanhomeguards.gov.in/
ांकः 18-11-2021
क्रमांकः गृरमु/स्था/ई–1 (13–3) 2021/31473 दि

आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमवैन एवं आरक्षी वाहन चालक भर्ती हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के भाग–4 में निहित
प्रावधानों के अन्तर्गत
आरक्षी वाहन चालक भर्ती हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के भाग–4 में निहित प्रावधानो
राजस्थान गृह रक्षा विभाग के विभिन्न जिला/यूनिट/बटालियन में आरक्षी, आरक्षी बि
ड्रमवैन एवम् आरक्षी वाहन चालक के 135 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थि

के अन्तर्गत
ुलर, आरक्षी
यों से ऑन

[redacted]

...इन आवेदन पत्र (Online application form) आमंत्रित किए जाते है। यह
राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. (RISL) द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस
CSC (Common Service Centre) एवम् विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति स
होने के पश्चात दिनांकः24.11.2021 से दिनांकः 15.12.2021 तक तक भरे ज

आवेदन पत्र Online
क, जन सुविधा केन्द्र,
ाचार पत्रों में प्रकाशित
सकते है। आवेदकों
CSC (Common Service Centre) एवम् विभाग की वेबसाईट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्र
होने के पश्चात दिनांकः24.11.2021 से दिनांकः 15.12.2021 तक तक भरे जा सकते है। आ
काशित
ावेदकों
समय

को सलाह दी जाती है कि ऑन लाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना
सीमा में ऑन लाईन आवेदन करें।

भर्ती प्रकिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले आदेश/परिपत्र या

नियमों

आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना /होना आवश्यक होगा।

"Online application form" के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए नम्बर

आवेदन करते समय ई–मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र को उपलब्ध कराना /होना आवश्यक होगा।

"Online application form" के सम्बन्ध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए नम्बर
9352323625/7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा "Online application form" निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

i. स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के

9352323625/7340557555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(ख) किसी भी आवेदक द्वारा "Online application form" निम्नानुसार भरा जा सकता है :–

i. स्वयं के स्तर पर : अभ्यर्थी अपने स्तर पर अथवा अन्य एजेन्सी (साईबर कैफे आदि) के
माध्यम से वेबसाईट http//recruitment2.rajasthan.gov.inपर आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

माध्यम से वेबसाईट http//recruitment2.rajasthan.gov.inपर आवेदन कर सकता है। इस सम्बन्ध में अनुदेश व प्रपत्र भी उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस स्थिति में परीक्षा शुल्क नेट–बैंकिंग या डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवाना होगा।

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर –

(a) आवेदक : आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को

ii. राज्य सरकार के अधीन संचालित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर –

(a) आवेदक : आवेदन भरने एवम् परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु सम्बन्धित ई–मित्र कियोस्क को
सेवा शुल्क देय होंगे, जिसकी कियोस्क द्वारा रसीद जारी की जावेगी।

(ग) हाथ से भरे गये आवेदन–पत्र/हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये

(5) आवेदक यह ध्यान दे कि ऑन लाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन पत्र कमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र कमांकः (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नही हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र केPreviewको Submit न मानें।

[redacted]

र श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के आवेदकों हेतु रुपये 500/–

ा के नॉन–क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी

वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग/एमबीसी वर्ग के ऐसे आवेदक जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)– रुपये 400/–

(कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार)

है आवेदक हेतु (केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)– रुपये 400/–

(कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प–8(3)कार्मिक/क–2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार)

4. **भर्ती हेतु रिक्त पद :**

गृह रक्षा, मुख्यालय, में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 02 पद भी सम्मिलित है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में किसी भी समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी। सामान्य क्षेत्र एवम् टी.एस.पी.क्षेत्र के लिए आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

(टी.एस.पी.क्षेत्र)

	एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
योग	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
7	–	–	–	2	2	1	–	3	10	14	1	–	2	8	11	–	–	–	2	2	12	101

5

आरक्षी (सामान्य क्षेत्र)

एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.वर्ग					एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी					भूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग		
विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य				
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–				4	4	–	–	–	–	–	–	10

5

आरक्षी (टी.एस.पी.क्षेत्र)ो (सामान्य क्षेत्र)

क्षेत्र)

एस.टी. वर्ग			उत्कृष्ट खिलाड़ी						मूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
	पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग			
सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य					
–	–	–	–	–	–	–	–		–	2

क्षेत्र)

एस.सी.वर्ग	एस.टी. वर्ग			उत्कृष्ट खिलाड़ी						मूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
		पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग			
	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य					
–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	2

महि	पुरु
विधवा / विच्छिन्न विवाह / सामान्य	
— —	—

हन चालक

एम.बी.सी. व			
महिला			पुरुष
विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य	
—	—	—	—

7

ाहन चालक

एम.बी.सी. व

ला	पु

वाहन चालक (सामान्य क्षेत्र)

एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.		
महिला			पुरुष	योग	महिला		
विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
—	—	—	—	—	—	—	1

वाहन चालक (टी.एस.पी. क्षेत्र)

एम.बी.सी. वर्ग					एस.सी.		
महिला			पुरुष	योग	महिला		
विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
—	—	—	—	—	—	—	—

7

(सामान्य क्षेत्र)

र्ग	एस.सी.वर्ग					एस.टी.		
योग	महिला			पुरुष	योग	महिला		
	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
—	—	—	1	1	2	—	—	1

(टी.एस.पी. क्षेत्र)

र्ग	एस.सी.वर्ग					एस.टी.		
योग	महिला			पुरुष	योग	महिला		
	विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
—	—	—	—	—	—	—	—	—

वर्ग		एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी		
पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला		
		विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

वर्ग		एस.टी. वर्ग					उत्कृष्ट खिलाड़ी		
पुरुष	योग	महिला			पुरुष	योग	महिला		
		विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य			विधवा	विच्छिन्न विवाह	सामान्य
1	2	—	—	1	1	2	—	—	—

[redacted]

		भूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
पुरुष	योग		
—	—	2	18

		भूतपूर्व सैनिको हेतु बैकलॉग पद सहित	कुल योग
पुरुष	योग		
—	—	—	2

5. आरक्षण :

(क) महिलाओं के लिए :

राज्य सरकार की अधिसूचना कमांकः एफ. 7 (2) डी.ओ.पी./क–2/88 पार्ट–I दिनांक 22.12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 08 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 02 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए

.ओ.पी./क–2/88 पार्ट–I दिनांक 22.
परोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 08
(तलाकशुदा) महिला अभ्यर्थियों के लिए
चयन प्रकिया राज्य सरकार के परिपत्र
2016 के अनुसार की जायेगी।
12.2015 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उ
प्रतिशत विधवाओं के लिए और 02 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह
होगा। विधवा एवम् विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की
कमांकः प. 7(2)डी.ओ.पी./क–2/96/पार्ट दिनांकः 13.01

होगा। विधवा एवम् विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया राज्य सरकार के परिपत्र कमांकः प. 7(2)डी.ओ.पी./क–2/96/पार्ट दिनांकः 13.01.2016 के अनुसार की जायेगी।

किसी वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी./टी.एस.पी./एम.बी.सी.) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

जाति/ओ.बी.
पदों को उसी
के नाम एवम्
जाति/ओ.
सी./टी.एस.पी./एम.बी.सी.) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर ऐसे
वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम् निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी./टी.एस.पी./एम.बी.सी.) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए :

राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम–1988 के नियम–3 (क) एवम् कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ.5 (18) डी.ओ.पी./क–2/84 पार्ट–II दिनांकः 17.04.2018 के बिन्दु संख्या–6 नियम–6 (बी) व अधिसूचना कमांकः प. 5 (18) डी.ओ.पी./क–2/84 पार्ट दिनांकः 22.08.2019 जो कि ...

...क्षण क्षैतिज (Horizontal)
...त जाति/अनुसूचित जन
...त किया जावेगा।

...गा, जो राजस्थान सिविल
... पदों में समायोजित किया जावेगा।

... भूतपूर्व सैनिकों का आ...
है। अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचि...
जाति/ओ.बी.सी./एम.बी.सी.) का होगा। उसी वर्ग के पदों में समायोजि...

स्पष्टीकरण :

भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जाये...
सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम...

(iii) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवम् स्थानीय अनारक्षित रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका के अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पद उपरोक्त तालिका में अंकित है।

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2017 दिनांक13.02.2019 के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए ...

दर्शाये गये रिक्त पदों की तालिका के अभ्यर्थियों के ... में अंकित है।

... फ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2017 दिनांक13.02.2019 ... प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

रिक्त स्थानों का विवरण भर्ती हेतु ... लिए रिक्त पद उपरोक्त तालिका ...

(घ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ ... के अनुसार एम.बी.सी. वर्ग के लिए 05 प्र...

... फ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2019 दिनांक20.10.2019 ... जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम है, ...

(ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ ... के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी ... उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ...

... प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

... फ. 7 (1) डी.ओ.पी./क–2/2019 दिनांक20.10.2019 ... जिनकी वार्षिक आय 8.00 लाख रूपये से कम है, ... अभ्यर्थी मानते हुए 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।

(ङ) कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांकः एफ... के अनुसार सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी ... उन्हें आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को...

... राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित ... /एम.बी.सी. वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों

(च) राजस्थान राज्य के बाहर के अभ्यर्थी : रा... जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग... को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

6. वेतनमान और पेंशन :

नियुक्ति के उपरान्त 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 12600/– रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षी पद की नियमित वेतन श्रृंखला L–3 (Pay matrix Level–3) वेतन एवम् नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले आरक्षी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

नोट :

जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्ययनरत है, वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते है, परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम

रत है, वे भी इस भर्ती
शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण
कोई अभ्यर्थी न्यूनतम
नहीं करता है तो उसे

जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्य
हेतु आवेदन कर सकते है, परन्तु उन्हें शारीरिक मापतौल के समय न्यूनतम
होने का मूल प्रमाण–पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि
शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण–पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे शारीरिक मापतौल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(v) आयु सीमा :

राजस्थान गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियम 17 एवम् राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7 (82) डी.ओ.पी./क–2/84 पार्ट दिनांक25.06.2004 एवम् एफ. 2 (1)

[redacted]

डी.ओ.पी./क–2/03 दिनांक 17.05.2018 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी–2022 को आधार मानकर निम्नानुसार की जायेगी।

(vi) आरक्षी, आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रमैन, आरक्षी वाहन चालक आवेदकों के लिए :

वर्ग (Category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नही हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नही हो (अधिकतम आयु तिथि)		एन.सी.सी. इन्स्ट्रक्टर (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.2002	02.01.1997	02.01.1992	02.01.1994	02.01.1989
आर्थिक पिछड़ा वर्ग/अनुसूचितजाति/अनुसूचित जन जाति /ओ.बी.सी./एम.बी.सी.	01.01.2002	02.01.1992	02.01.1987	02.01.1989	02.01.1984
भूतपूर्व सैनिक/राजस्थान होम	01.01.2002	02.01	02.01	–	–

[redacted]

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		पहाड़ी जन जाति क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए मापदण्ड	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152से.मी.	160 से.मी.	140 से.मी.
न्यूनतम सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाये 79 से.मी. फुलाने पर 84 से.मी. (सीने का कम से कम फुलाव 5 से.मी.)	लागू नहीं
न्यूनतम वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	43 कि.ग्रा.

नोट :

1. यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है, तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से. मी. की छूट देय होगी।
2. पहाड़ी एवम् आदिवासी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम–2021 के नियम 20 के अन्तर्गत मापदण्ड होंगे।
3. समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 से.मी. में किसी प्रकार की छूट देय नही होगी। पहाड़ी/जन जाति क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 140 से.मी. मान्य रहेगी।

(ix) चिकित्सकीय मापदण्ड :

1. अभ्यर्थी की न्यूनतम निकट दृष्टि N6 (बेहतर आंख) और N9 (बदतर आंख) होनी चाहिए अभ्यर्थी कीदोनों आंखों की दूर दृष्टि 6X6 (बेहतर आंख) और 6X9 (बदतर आंख) होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवम् सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा, जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट–1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट–28 ऑफ–1961)

(iv) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांकः 01.06.2002 को या उसके पश्चात 02 से अधिक सन्तान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान [redacted]

10. लिखित परीक्षा :

लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 120 अंकों का होगा, जिसमे वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार के 120 प्रश्न होंगे तथा समयावधि 02 घन्टे की होगी। प्रत्येक प्रश्न के 01 अंक देय होंगे। गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का एक चौथाई अंक काटा जायेगा। यह परीक्षा ऑफलाईन तथा ओ.एम.आर. आधारित (offline and OMR based)होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम,प्राप्तांको का विवरण एवम् प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार होगी :–

लिखित परीक्षा का सिलेबस	प्रश्न	कुल अंक
विवेचना एवम तार्किक योग्यता	30	30
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवम् समसामयिक विषयों पर	30	30
राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि	60	60
योग	120	120

➢ इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य

आवेदन राज्य स्तर पर उसके अंक वर्ग की कट–ऑफ से अधिक होने की स्थिति में ही उसके लिए पद रिक्त रखा जायेगा और कट–ऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए कोई पद रिक्त नही रखा जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी

कोई पद रिक्त नही रखा
नहीं होने की सलाह दी
सूचना को बोर्ड के समक्ष

05 किलो–मीटर दौड़

पद रिक्त रखा जायेगा और कट–ऑफ से कम अंक होने पर उसके लिए
जायेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित
जाती है, परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लि

जाती है, परन्तु शारीरिक परीक्षा के दिन उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार सूचना को बोर्ड के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

समस्त अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 05 किलो–मीटर दौड़ निम्नानुसार समय सीमा में पूर्ण किया जाना आवश्यक है :–

पद नाम	पुरूष	महिला	भूतपूर्व सैनिक	ट्राईबल सब–प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जन जाति	अंक
आरक्षी,	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	20
आरक्षी वाहन चालक/आरक्षी बिगुलर, आरक्षी ड्रम्मैन	25 मिनिट	35 मिनिट	30 मिनिट	30 मिनिट	10

नोट :

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जायेगा। ... दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील ... का अवसर देय नहीं होगा।
2. उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में निर्धारित समय अवधि में दौड़ पूर्ण नहीं करने पर ...

...में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शारीरिक
...प्राप्तांक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये

...st/PST) :

...को उत्तीर्ण मानते हुये भर्ती की आगामी प्रक्रि...
दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों के ...
जायेंगे।

12. शारीरिक मापतौल (Physical Standard Te...

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जायेगी, जिसमें छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass without Relexation) अंकित होगा।

गी, जिसमें छूट प्राप्त
ों के लिए (PST Pass

।

न चालक आवेदकों के

ायेगे। आरक्षी, आरक्षी

शारीरिक मापतौल के दौरान प्रवेश पत्र पर एक सील लगाई जाये
अभ्यर्थियों के लिए (PST Pass with Relexation) एवम् बिना छूट प्राप्त अभ्यर्थिय
without Relexation) अंकित होगा।

नोट : अपील के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा

13. तकनीकी योग्यता परीक्षा (आरक्षी बिगुलर/ आरक्षी ड्रममैन/आरक्षी वाह
लिए) :

के सम्बन्ध में भर्ती बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

योग्यता परीक्षा (आरक्षी बिगुलर/ आरक्षी ड्रममैन/आरक्षी वाहन चालक आवेदकों के

ता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगे। आरक्षी, आरक्षी
आरक्षी ड्रममैन, आरक्षी बिगुलर पद की दक्षता परीक्षा में निर्धारित उपरोक्तानुसार
नहीं करने पर ऐसे अभ्यर्थी अयोग्य माने जायेगें तथा भर्ती की अग्रिम चयन प्रकिया
हीं किया जायेगा।

नोट : अपील

13. तकनीकी
लिए) :

तकनीकी योग्य
वाहन चालक,
प्राप्तांक अर्जित
में सम्मिलित न

14. विशेष योग्यता परीक्षा :

आरक्षी, आरक्षी विगुलर, आरक्षी ड्रमैन, आरक्षी वाहन चालक के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता, मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।

एन.सी.सी. :

क्रम संख्या	प्रमाण–पत्रों की श्रेणी	अंक
1.	सी प्रमाण पत्र	05
2.	बी प्रमाण पत्र	04
3.	ए प्रमाण प्रत्र	02

मापतौल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर
ार अंक प्रदान किये जायेंगे।
ी. :
दक्षता,
निम्नानु
एन.सी.स
05
04
02
1. सी प्रमाण पत्र
2. बी प्रमाण पत्र
3. ए प्रमाण प्रत्र

होम गार्ड :

क. सं.	सेवा अवधि	अंक
1.	होम गार्ड में निरन्तर 05 वर्ष तक सेवा देने पर	10
2.	होम गार्ड में निरन्तर 03 वर्ष तक सेवा देने पर	08
3.	होम गार्ड में निरन्तर 02 वर्ष तक सेवा देने पर	06

होम गा
तर 05 वर्ष तक सेवा देने पर 10
तर 03 वर्ष तक सेवा देने पर 08
तर 02 वर्ष तक सेवा देने पर 06
1. होम गार्ड में निर
2. होम गार्ड में निर
3. होम गार्ड में निर

विशेष योग्यता : (केवल आरक्षी सामान्य पद के लिए)

क. सं.	विवरण	अंक
1.	कम्प्यूटर योग्यता	अधिकतम 05 अंक

विशेष योग्यता : (केवल आरक्षी सामान्य पद के लिए)
क. सं. विवरण
1. कम्प्यूटर योग्यता
ो अधिकतम 20 अंक एवम्
अंक देय होंगे।
नोट : उपरोक्त विशेष योग्यताओं में आरक्षी सामान्य पद हेतु अभ्यर्थियों क
आरक्षी वाहन चालक , आरक्षी विगुलर, आरक्षी ड्रमैन को अधिकतम 15
15. चयन सूची :
दक्षता, परीक्षा/मापतौल

नोट : उपरोक्त विशेष योग्यताओं में आरक्षी सामान्य पद हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम 20 अंक एवम् आरक्षी वाहन चालक , आरक्षी विगुलर, आरक्षी ड्रमैन को अधिकतम 15 अंक देय होंगे।

15. चयन सूची :

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा/मापतौल, विशेष योग्यता एवम् वाहन चालक की दक्षता परीक्षा) के प्राप्तांकों के आधार पर प्रत्येक स्तर पर ... चयन सूची राज्य सरकार के परिपत्र कमांक: एफ.

है। सत्यापन के उपरान्त उपर्युक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जायेगा।

18. प्रमाण पत्र :

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता एवम् मापतौल परीक्षा (PET/PST) के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवम् उनकी स्व–प्रमाणित (Self Attested) एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

(i) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ii) आयु प्रमाण पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)

(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/एम.बी.सी./आर्थिक पिछड़ा वर्ग/ई.डब्लू.एस. वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र।

(iv) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकः एफ.7(1) डी.ओ.पी./क–2/2019 दिनांक 20.10.2019 के क्रम में आर्थिक पिछडा वर्ग के आवेदक आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष ...

(vi) अन्तिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र एवम् 02 स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 06 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(vii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में एन.ओ.सी./डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/पेंशनर प्रमाण पत्र।

(viii) टी. एस. पी. क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(ix) निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट ली है तो मूल आवेदन पत्र की फोटो प्रति एवम् आय प्रमाण पत्र।

(x) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 से.मी.) रंगीन फोटो।

(v) राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(vi) चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(vii) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।

(viii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई

किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि

क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग

को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य

(ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को

करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता

(ix) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा।

भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व

हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा

अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित

पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया

हेतु अपात्र माना जायेगा।

पर उनके विरूद्व सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे

(x) अनुचित साधनों का उपयोग करने

अधिकारी, जो भी उचित समझे

ान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित

ों के अन्तर्गत समुचित कानूनी

(x) अनुचित साधनों का उपयोग करने पर उनके विरूद्व सक्षम अधिकारी, जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है, जिसमें परीक्षार्थी के विरूद्व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम–1992 के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत समुचित कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवम् गृह रक्षा, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है, फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Amendment) भी लागू होंगे।

...ख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा ...र भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी ...से नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में ...endment) भी लागू होंगे।

जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है, फि... नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने की स्थिति में भी ऐ... प्रभावी माने जायेंगे। इसी प्रकार नियमों, परिपत्रों में संशोधन (Am...

(पी.रामजी)
महानिरीक्षक पुलिस
गृह रक्षा, राजस्थान
जयपुर

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

Annexure "A"

8 M	16 M	27 M
	Ideal Stop 60 K.M.	Ideal Stop 70 K.M.

s, the brake pedal must be activated.

Director General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur

...utch pedal must be activated and Reducing of speed by t...
...hen passed the obstacle, the vehicle must be brought to...

Dir...

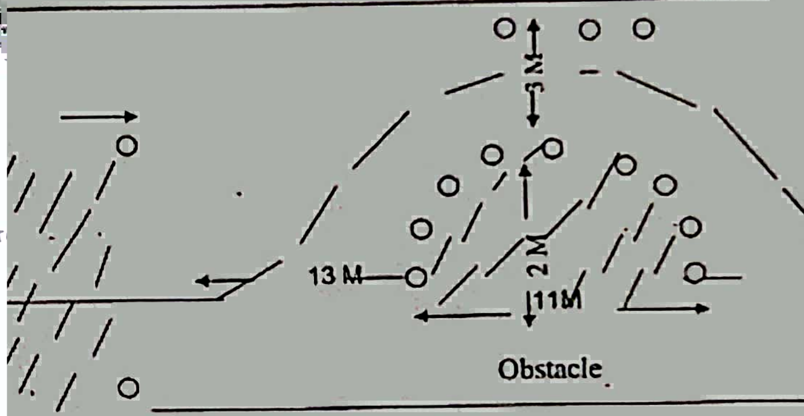

...be activated and Reducing of speed by the brake pedal and after pass... obstacle, the vehicle must be brought to a Full stop.

Director General & Commandant ...
Home Guards, Hqr. Rajastha...
Jaipur

Steering Test 3 Ma...

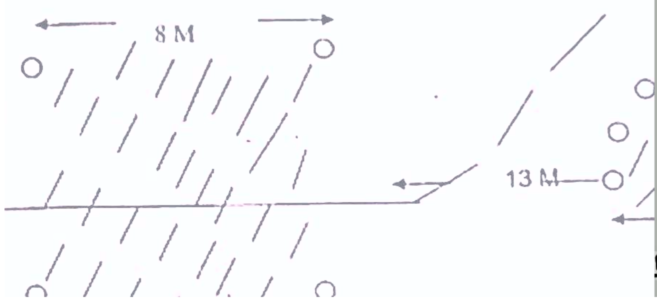

...teering Test 3 Marks

Annexure "B"

...rks

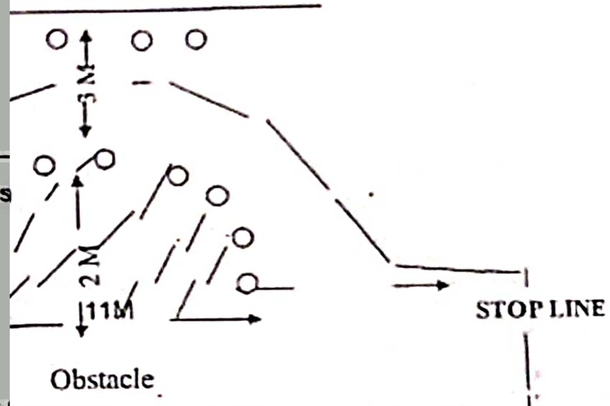

...he brake pedal and after passing the next
...a Full stop.

...ector General & Commandant General
Home Guards, Hqr. Rajasthan,
Jaipur